

**वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG./TRANS/23475/2017

07. परियोजना/स्कीम का स्थान

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य		
(ii) जिला	बस्तर		
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वन मंडल जगदलपुर		
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	23.535 हे.		
(v) वन की कानूनी स्थिति	प्रस्तावित 23.535 हे. राजस्व वनभूमि का विवरण :-		
	Name of Village	Compart-ment no/Khasara no.	Total hectare
	Mahupalbarai	98,91,100,85	1.571
	Bangapal	22,19	0.219
	Kolchur	451	0.057
	Kaviasana	547	0.033
	Surguda	613,530,528,521,519,516,526,524,522,646	2.922
	Karanji	874	0.293
	Tekameta	327,325	0.12
	Palva	41,39,28	0.446
	Raikot	73,238,18	0.853
	Pathreli urf udva	710,705,704,695,356,321,298	0.434
	Mavalibhata	14	0.044
	Burungpal	847,779,699,695,694	2.149
	Gurram	34,91,88,92	0.745
	Telga arapur	13/2	0.200
	Aerakot	590,375,262	0.072
	Nainnar	847,846,845,843,833,834,859,745,744,848,850	3.066
	Katakanda	200,199	0.131
	Badekilepal	381/52	0.211
	Mutanpal	293,291,272,268,226	2.419
	Tirthum	155,153,154,115,114	1.635
	Lalaguda	486,435,419	1.08
Dhokhum	80,78,77,75,30,71,17,20,18	2.664	
Kodenar	714,699,647	1.153	
Turangur	363,257,184	1.018	
Total Forest Land (Revenue forest)		23.535	
Non Forest Land		199.586	
Total Land		223.121	

(vi) हरियाली का घनत्व	Density 0.4
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	संलग्न है।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	—
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वनक्षेत्र की सीमा से लगा हुआ।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	आवेदित क्षेत्र राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल) वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र अक्षांश एवं देशांश के आधार पर 10 कि.मी. की परिधि में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (National Park) के अंतर्गत आता है।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/सकंटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि	नहीं।

अपेक्षित हो, दें।	
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्रा, और आस पास	दन्तेवाड़ा वनमण्डल के अंतर्गत प्रस्तावित है।

<p>(iii) की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।</p> <p>(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।</p> <p>(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)</p>	<p>आवश्यकता नहीं है।</p>

12.	विभाग / जिला	
प्रोफाइल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4091.000 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	आरक्षित वन — 1083.761 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन — 661.326 वर्ग कि.मी. असीमांकित संरक्षित वन — <u>466.720 वर्ग कि.मी.</u> <u>2211.807 वर्ग कि.मी.</u>
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना — 595.630 हे० प्र०मं०ग्र०स०यो० गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली, इरपा— 2.400 हे० बी०आर०ओ० सडक चौडीकरण —37.031 हे० सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण — 0.789 हे० रेल लाईन निर्माण —10.763 हे० भोण्ड जलाशय — 0.630 हे० पीठापुर जलाशय — 7.860 हे० तारापुर जलाशय —19.448 हे० रक्षा अनुसंधान एवं विकास —132.598 हे० पुलिस चौकी निर्माण —0.900 हे० पानी पाईप लाईन निर्माण —25.720 हे० विद्युत लाईन निर्माण —4.712 हे० जल विद्युत परियोजना —19.718 हे० कार्यालय भवन एवं आवासीय —0.232 हे० भवन निर्माण हेतु (राजस्व वन भूमि) पुलिस चौकी निर्माण —1.000 हे. कैम्प मुख्यालय स्थापना —1.000 हे. बटालियन मुख्यालय स्थापना —2.000 हे. 220 / 132 / 33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्थापित —2.680 हे.

		ईमली, महुआ बीज प्रसंस्करण	
		केन्द्र स्थापना	-0.405 हे.
		केरिपुबल कैम्प स्थापना	-0.740 हे.
		कैम्प स्थापना हेतु	-0.809 हे.
		कैम्प स्थापना हेतु	-0.500 हे.
		एन.एम.डी.सी. पानी पाईन	
		लाईन निर्माण हेतु	-26.136 हे.
		एन.एच. 30 सड़क	
		उन्नयन चौड़ीकाण हेतु	-45.629 हे.
			<u>योग 940.230 हे.</u>
(iv)	1980 से जिला/प्रभा ग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं।	
(v)	तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि	वैकल्पिक वृक्षारोपण - 5635.000 हे० आर.डी.एफ - 6200.000 हे०	
		<u>योग - 11835.000 हे०</u>	
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	30.00 हेक्टेयर	


13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

बस्तर वनमण्डल के परिक्षेत्र बस्तर , जगदलपुर, चित्रकोट एवं दरभा में आवेदक कार्यपालन अभियन्ता 400 के. व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कांकेर (छ.ग.) द्वारा 220 के.व्ही.डी.सी.डी.एस जगदलपुर – बारसूर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 23.535 हे. राजस्व वनभूमि प्रस्तावित किया गया है। जिसका डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र में 10 कि.मी. परिधि में कागेंर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत आता है। परन्तु विद्युत लाईन निर्माण से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ऐसे प्रकरण में National Board of Wild Life से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2007- एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 19.08.2010 संलग्न है।

वनस्पति मानचित्र में कक्ष क्रमांक 1647 पी, 1637 पी, 1628 पी एवं 1659 पी विद्युत लाईन मानचित्र में दर्शित है। जबकि स्थल सत्यापन करने पर कक्ष क्रमांक 1647 पी प्रस्तावित लाईन से 1.23 कि.मी., कक्ष क्रमांक 1637 पी प्रस्तावित लाईन से 200 मी., कक्ष क्रमांक 1628 पी प्रस्तावित लाईन से 1.2 कि.मी. एवं कक्ष क्रमांक 1659 पी प्रस्तावित लाईन से 213 मी. दूरी से विद्युत लाईन प्रस्तावित की गई है। अतः 220 के.व्ही.डी.सी.डी.एस जगदलपुर – बारसूर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक:- 17-11-2017

स्थान:- जगदलपुर


वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर , जगदलपुर